झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक 280600608 / जे डी ए.–तलपट मानचित्र (2013–14) दिनांक 27 दिसम्बर 2013

श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री दीपनारायण सिंह यादव
श्री दीपनारायण सिंह यादव स्व. श्री दीकाराम यादव

SITE LAYOUT JDA

मैसर्स मून सिटी स्कैप्स बिल्डर्स प्रा.लि. झांसी।

आपके पत्र दिनांक 28.06.2008 मानचित्र सं. 280600608 के संदर्भ में [illegible] अगस्त को आराजी नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [illegible] 28, 29, 30, 31 & 32 मौजा भगवंतपुरा के मानचित्र में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृति, मानचित्र संलग्न है; उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0नगर नियोजन [illegible] की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी [illegible] स्थल एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग [illegible] किसी प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के [illegible]
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि [illegible] कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा [illegible] की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृति मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कार्य का [illegible] की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की [illegible]
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक [illegible] पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियम [illegible] प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त [illegible] अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है –
   - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित [illegible] करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
   - समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्देशों की [illegible] का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
   - कॉलोनी में सृजित भूखण्डों के एकल मानचित्र विद्युत लाइन [illegible] जायेंगे।
   - ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन उक्त आय वर्ग के [illegible] आयुक्त की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति, जिसमें जिलाधिकारी [illegible] भी सदस्य होंगे, के माध्यम से किया जायेगा।
12. उपरोक्त शर्तों का [illegible] कभी भी, कोई कारण बताओ नोटिस [illegible] अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित [illegible]
13. मानचित्र की स्वीकृति [illegible] निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।
   इनमें से किसी भी [illegible] नियोजन एवं विकास अधि[illegible]

[illegible]

पत्रांक स्वीकृत मानचित्र की [illegible]
प्रेषी आर अग्रिम [illegible] को प्रेषित।